[2019] 15 एस. सी. आर. 427

बैद्यनाथ यादव

ए.

वी.

आदित्य नारायण रॉय और ओआरएस। (2019 की सिविल अपील संख्या 8847)

बी.

नवंबर 19,2019

[मोहन एम. शांतनागौदर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 आर। 8 - भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) सी

आई. ए. एस. में गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के चयन के लिए क्रम संख्या 3 पर-डी. राज्य जांच समिति से पहले, 17 सिफारिशों की सूची में, अपीलकर्ता का उल्लेख क्रम संख्या 15 पर, प्रतिवादी संख्या 9 पर और प्रतिवादी संख्या 1 पर क्रम संख्या 16 पर किया गया था। राज्य जांच समिति ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 9 सहित दस नामों की सिफारिश की, लेकिन यूपीएससी के लिए उत्तरदाता संख्या 1 नहीं-- यूपीएससी द्वारा आई. ए. एस. के लिए दो अधिकारियों का चयन किया गया था, जिनमें से एक अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने रद्द करने के लिए कैट से संपर्क किया था। अपीलार्थी की नियुक्ति और राज्य जांच समिति को यूपीएससी में उसके नाम की सिफारिश करने के निर्देश के लिए-न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1 के आवेदन को खारिज कर दिया-प्रतिवादी संख्या 1 उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका में कहा गया कि राज्य जांच समिति ऐसा करने में विफल रही

एफ.

अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करें और प्रकट करें, जो उच्च न्यायालय करने के लिए बाध्य था, यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी नंबर 1 का नाम केवल पिछले वर्ष यूपीएससी को अनुशंसित किया गया था, इसलिए उनका नाम अनुशंसाओं की सूची में पहले उम्मीदवार के रूप में सामने आना चाहिए था उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और राज्य जांच समिति को यूपीएससी को प्रतिवादी जी नंबर 1 के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः न्यायाधिकरण या न्यायालय व्यक्तिगत उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है-तत्काल मामले में, उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता के प्रश्नों को संबोधित करना उच्च न्यायालय का काम नहीं था और न ही यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त है-हालाँकि, न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या

एच.

428

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए पूरी चयन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों का कोई गंभीर उल्लंघन, या कोई पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन था-यह प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों और दिशानिर्देशों से स्पष्ट था

आई. ए. एस. के लिए गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के चयन के साथ-साथ जी. ए. डी. द्वारा जारी पत्र की उस क्रमिक आदेश के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं थी जिसमें उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई थी-यह गलत तरीके से उच्च न्यायालय के साथ बी तौला गया था-इसके अलावा, निर्णयों का एक समूह यह स्थापित करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी अपने निर्णय के कारणों का खुलासा करने के लिए विधिवत गठित चयन समिति की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई नियम या विनियमन इसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है-प्रासंगिक सी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों में कारणों का खुलासा करने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं थी-इसके अलावा, अपीलकर्ता सहित अधिकारियों की सिफारिशों में मनमानेपन, दुर्भावना या पक्षपात का कोई संकेत नहीं था उच्च न्यायालय का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना था और इसलिए इसे दरकिनार कर दिया गया-सेवा कानून अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एम. साथिया प्रिया में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि

डी.

उच्च न्यायालय के लिए उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता के प्रश्नों को संबोधित करना उचित नहीं है, और न ही इस न्यायालय के लिए ऐसा करना उचित है। यह न्यायालय केवल इस बात पर गौर कर सकता है कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों का कोई गंभीर उल्लंघन, या कोई पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन था। [पैरा 5.3] [436 ईजी]

2. प्रति विभाग दो उपयुक्त व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। इस परिदृश्य में विभागीय चयन समिति ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 9 के नामों की सिफारिश की। सिफारिशें संबंधित मंत्री एफ के समक्ष रखी गईं, जिन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की सिफारिश की जा सकती है, यह देखते हुए कि उन्होंने

पिछले वर्ष की सिफारिश की गई थी, और ऐसे व्यक्ति की फिर से सिफारिश करने पर कोई रोक नहीं थी यदि वह सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है। इसके बाद, कृषि विभाग ने उत्तरदाता के साथ राज्य जांच समिति को तीन नाम भेजे।

जी.

क्रम संख्या 3 पर नंबर 1 का नाम। विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल सत्रह सिफारिशों में से, राज्य जांच समिति ने यू. पी. एस. सी. को विचार के लिए दस नामों की सिफारिश की, जिसमें अपीलकर्ता शामिल था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 नहीं। इस सूची से दो अधिकारियों को आई. ए. एस. के लिए चुना गया था।

एच. यू. पी. एस. सी, जिनमें से एक अपीलार्थी था। [पैरा 8] [439-डी-एफ]

बैद्यनाथ यादव बनाम।

विभागीय चयन द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित मंत्री द्वारा उनकी सिफारिश किए जाने के बाद भी समिति ने, और बाद में राज्य जांच समिति के समक्ष क्रम संख्या 14 के बजाय क्रम संख्या 16 में, चयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला

बी.

उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हालाँकि, जैसा कि आई. ए. एस. के लिए गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों और दिशानिर्देशों के साथ-साथ जी. ए. डी. द्वारा जारी अनुशंसाओं के लिए दिनांकित 22.05.2014 पत्र से स्पष्ट होता है, उस क्रमिक क्रम के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं थी जिसमें उम्मीदवारों के नाम थे। कृषि विभाग या सी राज्य जांच समिति द्वारा अनुशंसित। सूची में नियुक्ति का क्रम केवल प्रासंगिक दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 5 के तहत यूपीएससी समिति द्वारा चयन सूची तैयार करने के चरण में प्रासंगिकता प्राप्त करता है। इस प्रकार, इसमें योग्यता है

डी.

अपीलार्थी और राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया कि विभागीय और राज्य द्वारा तैयार की गई सूचियों में उम्मीदवारों के नाम रखने का आदेश समितियों ने उच्च न्यायालय के साथ गलत तरीके से तौला। [पैरा 9] [439 जी-एच; 440-ए-बी]

ई.

4. इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इंगित किया गया है, यह राज्य की बैठकों के अभिलेखों से प्रकट होता है।

जाँच समिति ने कहा कि उसने अनुशंसित उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करते समय प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर इस आधार पर विचार नहीं किया कि विभागीय चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। एफ. हालाँकि, प्रासंगिक दिशानिर्देशों के साथ पढ़े गए 1997 के विनियमों से संकेत मिलता है कि इस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। यद्यपि जी. ए. डी. दिनांक 22.05.2014 के पत्र में निर्धारित किया गया था कि चयन समिति की किसी भी सिफारिश के वैध होने के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी आवश्यक थी, लेकिन यह

जी.

उसे अपनी मर्जी से किसी नाम की सिफारिश करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की। इस प्रकार, विभागीय समिति द्वारा पहले से ही अनुशंसित दो अधिकारियों की सूची में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को जोड़ने की पूरी प्रक्रिया, विशेष रूप से जब जी. ए. डी. द्वारा केवल दो नाम आमंत्रित किए गए थे, को अनियमित और लागू नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

इसके अलावा, ऐसे परिदृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई द्वेष या पूर्वाग्रह था जिसके कारण राज्य जांच समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर विचार नहीं किया गया था। [पैरा 9.1] [440 सी-ई]

5. इसके अलावा, यह न्यायालय खुद को उच्च न्यायालय के निष्कर्ष बी के साथ असहमति में पाता है कि राज्य जांच समिति का निर्णय का खुलासा न करने के लिए मनमाना था।

कारणों से। इस न्यायालय के कई निर्णयों ने यह स्थापित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी विधिवत न्याय की आवश्यकता नहीं है। इसके कारणों का खुलासा करने के लिए गठित चयन समिति

निर्णय, जब तक कि कोई नियम या विनियमन इसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। [पैरा 9.2] [440-एफ-जी]

6. चूंकि संबंधित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों में कारणों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करने वाली ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि राज्य जांच समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया डी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 9.3] [441-ई]

7. किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश राज्य जांच समिति को सिफारिश करने का निर्देश देता है

यूपीएससी में उत्तरदाता नंबर 1 का नाम पूरी तरह से ई अधिकार क्षेत्र के बिना था। चयन प्रक्रिया में मनमानेपन के निष्कर्ष पर पहुंचने पर, न्यायालय अधिकतम राज्य जांच समिति को इसका पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश जारी कर सकता था।

सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर उचित विचार करते हुए सभी उम्मीदवारों के नाम। यह न्यायालय के लिए नहीं था कि वह उम्मीदवारों की योग्यता पर निर्णय में बैठे और इसके लिए अपने तर्क को प्रतिस्थापित करे

एफ.

जाँच समिति। [पैरा 11] [442-ई-एफ] राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम। डॉ. के. कल्याण रमन, (1992) पूरक 2 एससीसी 481; संघ लोक सेवा आयोग बनाम। अरुण कुमार

शर्मा (2015) 12 एस. सी. सी. 600-संदर्भित।

जी.

संघ लोक सेवा आयोग बनाम। एम. साथिया प्रिया (2018) 15 एससीसी 796: [2018] 6 एससीआर 701; एम. वी. थिमैया बनाम यूपीएससी, (2008) 2 एससीसी 119 [2007] 13 एससीआर 624; आर. एस. दास बनाम भारत संघ (1986) पूरक एस. सी. सी. 617 [1987] एस. सी. आर. 527 पर निर्भर था।

एच 431

बैद्यनाथ यादव बनाम। आदित्य नारायण रॉय और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

ए.

(1992) पूरक 2 एस. सी. सी. 481

पैरा 4.1

संदर्भित किया गया है

(2015) 12 एससीसी 600

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.1

[2018] 6 एससीआर 701

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.2

बी.

[2007] 13 एससीआर 624

उस पर भरोसा करें

पैरा 5.1

[1987] एससीआर 527

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.2 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2019 की सिविल अपील संख्या 8847।

सी.

उच्च न्यायालय के 06.04.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 13773 में पटना में न्यायिक न्यायालय

2019 की सिविल अपील संख्या 8848।

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रवीण चंद्र, सोमेश चंद्र डी झा, राहुल नारंग, एम. शोएब आलम, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। आर. वेंकटरमानी, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , समरहर सिंह, बिनय कुमार, राजेश कुमार, प्रवीण विग्नेश, ध्रुव श्योराण, वरुण चौहान, समीर अली खान, सुश्री प्योली, आनंद दर्शन, चंदन कुमार, ऋतुराज चौधरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय मोहन एम. शांतनगौदर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई। 2. ये अपीलें सिविल रिट में पारित पटना उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ उत्पन्न होती हैं।

2017 की अधिकारिता संख्या 13,773, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई है, और 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 12370 ("अपीलार्थी") में अपीलार्थी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है।

जी.

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: 3.1 तत्काल अपील चयन वर्ष 2014 के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों (गैर-अनुसूचित जाति अधिकारी) के बीच से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) में दो रिक्तियों के चयन से संबंधित है। अपीलार्थी, बैद्यनाथ यादव, प्रत्यर्थी संख्या 1, आदित्य एच 432

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 12370 में ए. नारायण रॉय और प्रत्यर्थी संख्या 9, राम प्रकाश साहनी ("प्रत्यर्थी संख्या 9"), बिहार कृषि सेवा से संबंधित थे। संघ लोक सेवा आयोग ("यूपीएससी") को दस व्यक्तियों के चयन के लिए राज्य जांच समिति में दो अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने के लिए अन्य विभागों के साथ कृषि विभाग को आमंत्रित किया गया था बी.

अंतिम चयन के लिए। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कृषि विभाग की चयन समिति ने अपनी दिनांकित बैठक में विभाग के चार अधिकारियों के नामों पर विचार किया, जिनमें अपीलकर्ता, प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 9 और एक रवींद्र कुमार वर्मा शामिल थे और अपीलकर्ता सी और प्रतिवादी संख्या 9 के नामों की सिफारिश की। इसके बाद सिफारिशों को संबंधित मंत्री के समक्ष रखा गया, जिन्होंने 11.08.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की सिफारिश की जा सकती है। नतीजतन, कृषि विभाग ने राज्य को तीन नाम भेजे।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जाँच समिति, उत्तरदाता संख्या 1 का नाम क्रम संख्या 3 पर रखती है। राज्य जाँच से पहले

डी.

समिति, प्राप्त सत्रह सिफारिशों की सूची में, अपीलार्थी का उल्लेख क्रम संख्या 14 में, उत्तरदाता संख्या 9 का क्रम संख्या 15 में और उत्तरदाता संख्या 1 का क्रम संख्या 16 में किया गया था। राज्य जाँच समिति ने दिनांक 1 की अपनी बैठक में यूपीएससी को विचार के लिए दस नामों की सिफारिश की, जिसमें अपीलार्थी ई और प्रतिवादी संख्या 9 के नाम शामिल हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम शामिल नहीं हैं। इस सूची में से दो अधिकारियों का चयन यूपीएससी द्वारा आई. ए. एस. के लिए किया गया था, जिनमें से एक अपीलार्थी था और दूसरा दूसरे विभाग का अधिकारी था। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 14015/4/2014-ए. आई. एस. (आई)-बी दिनांक 22.01.2015 के माध्यम से इसे अधिसूचित किया गया था।

3.2 प्रत्यर्थी संख्या 1 ने केंद्रीय प्रशासन से संपर्क किया

एफ.

न्यायाधिकरण, पटना पीठ ने अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की, और कृषि विभाग को राज्य जांच समिति को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया, राज्य जांच समिति को यूपीएससी को उनके नाम की सिफारिश करने के लिए, यूपीएससी को उनके लिए एक नया मूल्यांकन करने के लिए।

जी नियुक्ति, और अनुकूल सिफारिशों के मामले में उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया जाना।

3.3 न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि विभागीय मंत्री के दिनांकित 11.08.2014 के आदेश में इस प्रभाव का कोई निष्कर्ष नहीं था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 सबसे मेधावी एच उम्मीदवार था, या यह कि गैर-समावेशन के कारण घोर अन्याय हुआ था।

ए कृषि विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिश में उनका नाम। इस प्रकार, राज्य जांच समिति को भेजी गई सूची में अनुक्रमिक संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम होने में कोई अवैधता या दुर्भावना नहीं थी, उनके इस तर्क के विपरीत कि उनका नाम शीर्ष पर होना चाहिए था क्योंकि वह सबसे मेधावी थे। न्यायाधिकरण ने आगे तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादी संख्या 1 का नाम था

बी.

इस सूची में शीर्ष पर, राज्य जांच समिति द्वारा तैयार की गई सूची में उनका नाम अभी भी सीरियल नंबर 16 के बजाय केवल सीरियल नंबर 14 पर होता, जो कि अप्रासंगिक था, क्योंकि एकमात्र प्रासंगिक पहलू यह था कि उनके नाम पर अन्य अधिकारियों के साथ विचार किया गया था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका मामला चयन किए जाने के बारे में अनुमानों पर आधारित था यदि उनके नाम की सिफारिश यूपीएससी समिति को सी की गई थी, और राज्य जांच का निर्देश दिया गया था।

यू. पी. एस. सी. में उनके नाम की सिफारिश करने वाली समिति अधिकारियों द्वारा योग्यता के मूल्यांकन पर निर्णय लेने के बराबर होगी। 3.4 प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट आवेदन दायर किया, जिसे डी उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य जांच समिति अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने और प्रकट करने में विफल रही है, जो वह आई. ए. एस. के लिए उम्मीदवारों के करियर के प्रक्षेपवक्र पर अपनी पूर्ण शक्ति के आलोक में करने के लिए बाध्य थी, और समिति में केवल वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति निर्णय लेने में निष्पक्षता और निष्पक्षता की गारंटी नहीं देगी। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि चूंकि उत्तरदाता नंबर 1 का नाम पिछले वर्ष यूपीएससी को अनुशंसित किया गया था, जो सिफारिश अधर में पड़ी थी, इसलिए उनका नाम सूची में पहले उम्मीदवार के रूप में होना चाहिए था। कृषि विभाग द्वारा की गई सिफारिशें। न्यायालय ने नोट किया कि नामों पर विचार करने के तरीके की जांच करने पर, यह निष्पक्षता, निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया में बाहरी कारणों पर विचार करने की कमी से संतुष्ट नहीं था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को हर स्तर पर स्पष्ट प्रक्रिया से बाहर रखने के प्रयास किए गए थे। 3.5 उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए निर्देश दिया कि राज्य जांच समिति प्रतिवादी की सिफारिश करे

जी.

दो सप्ताह के भीतर यू. पी. एस. सी. को नंबर 1 का नाम, और इसके बाद यू. पी. एस. सी. उनके मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करता है। इस तरह का विचार अपीलार्थी के भाग्य का भी निर्धारण करेगा, जिसे आई. ए. एस. संवर्ग में शामिल करने से उत्तरदाता संख्या 1 के नाम पर यू. पी. एस. सी. के निर्णय तक उसके पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं होगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर विचार करने के उद्देश्य से, पद को रिक्त एच 434 माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए वर्ष 2014 के लिए। राज्य जाँच समिति द्वारा अपनी सिफारिश करने के बाद, यू. पी. एस. सी. से अपेक्षा की जाएगी कि वह छह सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता संख्या 1 का साक्षात्कार और मूल्यांकन आयोजित करे। यह अपीलार्थी और बिहार राज्य को तत्काल अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित करता है।

4. दोनों पक्षों के वकील को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

बी.

4.1 अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हुज़ेफा

अहमदी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने उस क्रमिक आदेश को महत्व देने में गलती की जिसमें अधिकारियों के नाम राज्य जांच समिति के समक्ष रखे गए थे; चयन द्वारा कारणों का खुलासा न करना।

सी समिति अपने निर्णय को दूषित नहीं करती है, जब तक कि नियमों या प्रशासनिक निर्देशों द्वारा आवश्यक न हो (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम। डॉ. के. कल्याण रमन, 1992 सप्लीमेंट (2) एससीसी 481, और संघ लोक सेवा आयोग बनाम। अरुण कुमार शर्मा, (2015) 12 एस. सी. सी. 600), जो यहाँ मामला नहीं था; विभागीय मंत्री द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रखने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। शीर्ष पर डी नाम; और सभी अनुशंसित उम्मीदवारों के बजाय केवल उनके नाम पर पुनर्विचार करने का निर्देश, इससे परे था

उच्च न्यायालय की अधिकारिता। 4.2 बिहार राज्य के विद्वान वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से नियुक्त किया।

ई चयन) विनियम, 1997 ("1997 विनियम"), और प्रस्तुत किया कि विभागीय चयन समिति और राज्य जांच

समिति ने विनियमों के तहत सेवा अभिलेखों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया था। उन्होंने यह भी बताया कि दुर्भावना या पक्षपात के किसी भी आरोप के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि समिति के सदस्यों पर कोई अनुचित प्रभाव था। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त की। एम. साथिया प्रिया, (2018) 15 एस. सी. सी. 796, इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर समितियों के निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता था।

4.3 यह प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था,

जी.

श्री आर. वेंकटरमानी ने प्रस्तुत किया कि 1997 के विनियमों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की सिफारिश इस आधार पर की जानी थी कि क्या उनके पास उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता है, जिसका मूल्यांकन अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिकॉर्ड ("एसीआर") जैसे वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाना था। यह तर्क देते हुए कि चूंकि उत्तरदाता संख्या 1 के ए. सी. आर. के सभी एच. ने बैद्यनाथ यादव बनाम की तुलना में बेहतर श्रेणीकरण को दर्शाया है।

अपीलार्थी का, पी के "बहुत अच्छे" के विपरीत प्रत्येक पहलू ए के संबंध में "उत्कृष्ट" ग्रेड होने के कारण, उसका गैर-चयन दर्शाता है कि चयन समितियों ने अपीलार्थी के नाम की सिफारिश करने में ऐसे एसीआर से परे यात्रा की थी, और इस प्रकार मनमाने ढंग से कार्य किया था। उन्होंने राज्य जांच की बैठक के कार्यवृत्त की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया समिति, जिसने अनुशंसित नामों पर विचार करते हुए,

बी.

इस बात पर ध्यान दिया कि विभागीय चयन समिति द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम की सिफारिश नहीं की गई थी और इसलिए यह नहीं होगा

विचार किया। यह तर्क दिया गया था कि इसने प्रतिवादी संख्या 1 की संभावनाओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया था, क्योंकि मंत्री द्वारा सूची में उनका नाम जोड़ना पूरी तरह से मान्य था, सामान्य प्रशासन विभाग ("जी. ए. डी".) के दिनांकित 22.05.2014 पत्र के आलोक में, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि विभाग की सिफारिशों को संबंधित मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 5. विचार के लिए हमारे सामने विवाद के केंद्र में आई. ए. एस. के लिए गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के चयन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा का दायरा निहित है, जिसके लिए एक विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय द्वारा किए गए चयनों की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाली डी स्थिति का जायजा लेना महत्वपूर्ण है।

5.1 अब यह तय हो गया है कि इस तरह की समीक्षा का दायरा सीमित है और न्यायाधिकरण या न्यायालय व्यक्तिगत उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। जैसा कि इस न्यायालय की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है

ई.

एम. वी. थिमैया बनाम. यूपीएससी, (2008) 2 एससीसी 119: " 21. अब, उम्मीदवारों के चयन के संबंध में सवाल आता है। आम तौर पर, चयन की सिफारिशें

समिति को दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अदालतें अपील अदालत की तरह चयन समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकती हैं। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और अदालतें शायद ही कभी उम्मीदवारों के चयन की जांच करने के लिए अपील की अदालत के रूप में बैठती हैं और न ही अदालत का कार्य प्रत्येक की जांच करना है।

जी.

उम्मीदवार और अपनी राय दर्ज करें। "5 इस दृष्टिकोण की पुष्टि बाद में इस न्यायालय द्वारा की गई है।

विभिन्न निर्णय, जिनमें एम. साथिया प्रिया (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की 2-न्यायाधीश पीठ का हालिया निर्णय भी शामिल है, जिसमें हम में से एक सदस्य था। इस निर्णय में, इस

न्यायालय ने न्यायाधिकरण और एच 436 के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन को दरकिनार करते हुए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी.
एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में चयन समिति द्वारा। यह प्रश्न कि प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, विशेष रूप से चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है। चूँकि कानून डी के अनुसार चयन करने का अधिकार क्षेत्र चयन समिति में निहित है और चूंकि चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए अदालतों के लिए आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया या तो पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन के आधार पर दूषित होती है। यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह चयन समिति के निर्णयों पर अपील ई के रूप में मामलों की सुनवाई करे और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करे। यह प्रश्न कि क्या कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय यानी चयन समिति द्वारा तय किया जाना है। अदालतों के पास ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की बहुत सीमित गुंजाइश है।

एफ.

(5. 3 उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह इसके लिए नहीं था

उच्च न्यायालय उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता के प्रश्नों को संबोधित करेगा, और न ही हमारे लिए ऐसा करना उचित है। हम केवल जिंटो को देख सकते हैं कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों का कोई गंभीर उल्लंघन, या कोई पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन था। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए, आई. ए. एस. में गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) एच नियम, 1954 का नियम 8 बैद्यनाथ यादव बनाम के माध्यम से आई. ए. एस. के लिए अधिकारियों के चयन को नियंत्रित करता है।

पदोन्नति या चयन। जबकि नियम 8 (1) ए राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति से संबंधित है, नियम 8 (2) राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता वाले अधिकारियों में से चयन से संबंधित है, जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं।

लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षमता में एक राजपत्रित पद धारण करें, यानी गैर-एससीएस अधिकारी। 6.1 1997 के विनियम नियम 8 (2) के अनुसरण में बनाए गए थे। बी विनियम 4 के अनुसार, राज्य सरकार को आई. ए. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 ("1955 विनियम") के विनियम 3 के तहत गठित समिति के विचार के लिए नियम 8 (2) में वर्णित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने की आवश्यकता है, जिसमें यू. पी. एस. सी. ("यू. पी. एस. सी. समिति") के सदस्य शामिल हैं। ऐसे व्यक्तियों ने उस वर्ष जनवरी ग के पहले दिन 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होगी जिसमें उनके मामले पर विचार किया जा रहा है, उस समय तक उन्होंने राज्य सरकार के तहत किसी भी पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली होगी जिसे राज्य सिविल सेवा में उप-कलेक्टर के पद के बराबर घोषित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों का चयन पहले की सूची में भी नहीं किया गया होगा।

डी.

आई. ए. एस. में नियुक्ति और बाद में विनियमन 9 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या वर्ष के दौरान भरे जाने वाले प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या से पाँच गुना से अधिक नहीं हो सकती है।

ई.

6.2 विनियम 5 में प्रावधान है कि यूपीएससी समिति,

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों पर विचार करने पर, जितने रिक्त पद हों उतने व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की जा सकती है। आई. ए. एस. संवर्ग में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता होनी चाहिए -

सेवा अभिलेखों की जांच के साथ-साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद, इस प्रकार चुने गए नामों के साथ एक चयन सूची एफ तैयार की जानी है, और नियुक्तियां उसके बाद निर्धारित तरीके से की जानी हैं।

6.3 उपरोक्त विनियमों के लागू होने के बाद, 2003 में व्यक्तियों के चयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे। विनियम 5, जिसे ज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया गया था

जी.

सं. 4/14/2003-ए. आई. एस. दिशा-निर्देश उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर उनके मूल्यांकन से संबंधित हैं। दिशानिर्देशों के पैराग्राफ बी. 1 में यह रेखांकित किया गया है कि दिए जाने वाले कुल 100 अंकों में से, पिछले पांच वर्षों के एसीआर और

साक्षात्कार के विशेष संदर्भ के साथ, सेवा रिकॉर्ड को समान महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार एच 438 का पाठ्यक्रम जीवन

साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार के समग्र व्यक्तित्व का आकलन करते समय ए को ध्यान में रखा जा सकता है।

6.4 पैराग्राफ बी. 2 में कहा गया है कि व्यक्तिगत एसीआर के मूल्यांकन के आधार पर, यूपीएससी समिति इसके लिए 10 अंक निर्धारित कर सकती है।

मूल्यांकन के व्यक्तिगत वर्षों में "उत्कृष्ट" श्रेणी, "बहुत अच्छे" के लिए 8 अंक, "अच्छे" के लिए 6 अंक, बी और "औसत" के लिए 4 अंक। जबकि

पात्र अधिकारियों के ए. सी. आर. को अंक निर्धारित करने के लिए 1955 के विनियमों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 1955 के विनियमों के अनुसार, समिति को उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्टों पर टिप्पणियों के आधार पर उनकी ईमानदारी के बारे में भी खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

सी.

6.5 पैराग्राफ बी. 3 में कहा गया है कि इसके लिए आवश्यक न्यूनतम अंक

चयनित होने वाले उम्मीदवार को प्रत्येक घटक में 50 प्रतिशत अंक देने होते हैं। पैराग्राफ बी. 4 में कहा गया है कि चयनित उम्मीदवारों की एक योग्यता सूची तैयार की जानी है, प्राप्त अंकों के क्रम में, आगे यह प्रावधान करते हुए कि अधिकारियों के बीच बराबरी के मामले में, पुराने अधिकारी को सूची में ऊपर रखा जाना है। डी _ पैराग्राफ सी उन विषयों को निर्धारित करता है जिन्हें शामिल किया जा सकता है

व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान समिति।

7. उपरोक्त विनियमों के अनुसार, प्राचार्य

सचिव, जी. ए. डी., बिहार सरकार ने प्रत्येक विभाग से सबसे उपयुक्त व्यक्ति के नाम की प्रस्तुति आमंत्रित की थी। आई. ए. एस. के चयन के लिए गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों की सिफारिश, पत्र के माध्यम से

ई.

दिनांकित 22.05.2014। एक वैध सिफारिश करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने के लिए, जैसा कि पत्र के पैराग्राफ 3 में निर्धारित किया गया है, नीचे शब्दशः पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" (ख) अनुशंसित अधिकारी के पास कानून और किसी भी प्रथम दृष्टया मामले के अनुसार उत्कृष्ट योग्यता होनी चाहिए।

एफ.

उनके खिलाफ साबित नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) स्पष्ट रूप से सेवा में प्रवेश करते समय-अधिकारियों का इतिहास, इसके लिए कृपया अलग पत्रक संलग्न करें।
(घ) उनके वार्षिक गोपनीय विवरण तैयार करते समय

जी.

रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड एक्सेप्टेंस, अथॉरिटी ग्रेडिंग के साथ टिप्पणी, इसे अलग शीट पर संलग्न किया जाना चाहिए। साथ ही, अद्यतन पूर्ण चरित्र विश्वकोश संलग्न किया जाए। (ङ) विभागीय प्रभार, मंत्रिमंडल के समक्ष अधिकारियों के खिलाफ किसी भी मामले के लंबित न होने का प्रमाण पत्र।

(निगरानी) विभाग और लोकायुक्ता कार्यालय को भेजा जाए, इसलिए

बैद्यनाथ यादव बनाम। आदित्य नारायण रॉय और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

कि सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र 'ए' की स्वीकृति को पूरी तरह से विनियोजित किया जाएगा।

(च) अधिकारियों की पिछली नियुक्ति विवरण (वेतनमान सहित) को शामिल किया जाए।

XXX

बी.

(ज) चयन समिति की कार्यवाही की मूल प्रति, नामांकन पत्र के साथ सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए। चयन की सिफारिश पर

समिति, विभागीय मंत्री की मंजूरी आवश्यक रूप से प्राप्त की जाए और इस तथ्य को पत्र में स्पष्ट किया जाए कि चयन समिति की सिफारिश पर विभागीय मंत्री की सी मंजूरी प्राप्त हो गई है। यदि इसके स्पष्ट संदर्भ का उल्लेख नहीं है, तो सिफारिश महत्वपूर्ण नहीं होगी। "

8. 23.07.2014 दिनांकित पत्र के माध्यम से, दो उपयुक्त लोगों के नाम

9. प्रत्यर्थी नं. 1 का मामला इस तर्क पर आधारित है कि विभागीय चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सूची में उनका नाम सबसे नीचे रखा गया है। जी ने संबंधित मंत्री द्वारा सिफारिश की, और बाद में राज्य जांच समिति के समक्ष संख्या 14 के बजाय क्रम संख्या 16 में, उनके खिलाफ चयन प्रक्रिया को पूर्वाग्रहित किया। हालांकि, जैसा कि स्पष्ट है

आई. ए. एस. के लिए गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ-साथ जी. ए. डी. द्वारा जारी सिफारिशों के लिए दिनांकित 22.05.2014 पत्र, एच. [2019] 15 एस. सी. आर. के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं थी।

एक क्रमिक क्रम जिसमें उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कृषि विभाग या राज्य जांच समिति द्वारा की गई थी। सूची में नियुक्ति का क्रम केवल प्रासंगिक दिशानिर्देशों के साथ पठित विनियमन 5 के तहत यूपीएससी समिति द्वारा चयन सूची तैयार करने के चरण में प्रासंगिकता प्राप्त करता है। इस प्रकार, अपीलार्थी और राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने में योग्यता है।

बी सरकार ने कहा कि विभागीय और राज्य समितियों द्वारा तैयार की गई सूचियों में उम्मीदवारों के नाम रखने के आदेश को उच्च न्यायालय के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया।

9.1 इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है, सी राज्य जांच समिति की बैठकों के रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि उसने अनुशंसित उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करते समय प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर इस आधार पर विचार नहीं किया कि विभागीय चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। हालाँकि, 1997 के विनियम के साथ पढ़ा गया

प्रासंगिक दिशानिर्देश इंगित करते हैं कि इस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। डी हालांकि जी. ए. डी. के दिनांकित पत्र 22.05.2014 में निर्धारित किया गया है कि

चयन समिति की किसी भी सिफारिश के वैध होने के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी आवश्यक थी, इससे उन्हें अपनी मर्जी से किसी नाम की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं मिला। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की पूरी प्रक्रिया को विभागीय द्वारा पहले से ही अनुशंसित दो अधिकारियों की सूची में जोड़ा जा रहा है।

ई समिति, विशेष रूप से जब जी. ए. डी. द्वारा केवल दो नाम आमंत्रित किए गए थे, तो इसे अनियमित और लागू नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे परिदृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई द्वेष या पूर्वाग्रह था जिसके कारण राज्य जांच समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर विचार नहीं किया गया था। एफ.

9.2 इसके अलावा, हम खुद को असहमति में पाते हैं

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि राज्य जांच समिति का निर्णय कारणों का खुलासा न करने के लिए मनमाना था। इस न्यायालय के कई निर्णयों ने यह स्थापित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी अपने निर्णय के कारणों का खुलासा करने के लिए विधिवत गठित चयन समिति की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई नियम या विनियमन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। इस संबंध में, हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसकी बाद में कई मामलों में पुष्टि की गई है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग बनाम. अरुण कुमार शर्मा (ऊपर)। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (ऊपर) में, न्यायालय, आर. एस. एच. दास बनाम में निर्णय के बाद। भारत संघ, (1986) सप एस. सी. सी. 617 ने निम्नलिखित रूप में देखाः जी.

[मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

विशुद्ध रूप से प्रशासनिक। प्रशासनिक प्राधिकरण अपने निर्णय के समर्थन में कारणों को दर्ज करने के लिए किसी कानूनी दायित्व के अधीन नहीं है। वास्तव में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भी आवश्यकता नहीं है प्रशासनिक प्राधिकरण या एक चयन समिति या एक परीक्षक कानूनी आवश्यकता के अभाव में किसी व्यक्ति के चयन या गैर-चयन के कारणों को दर्ज करने के लिए। यह सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा आर. एस. दास बनाम में कहा गया है। भारत संघ [1986 पूरक एस. सी. सी. 617 (1987) 2 ए. टी. सी. 628] जिसमें कपूर मामला [(1973) 2 एस. सी. सी. 836 1974 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 5: (1974) 1 एससीआर 797] को भी प्रतिष्ठित किया गया था।

सी.

8. ..... हम शुरुआत में ही कह सकते हैं कि निर्णय के लिए कारण देना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकताओं से अलग है और सिद्धांत रूप में अलग है। प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता मुख्य आवश्यकता है। प्रशासनिक कार्रवाई में 'निष्पक्षता' या 'निष्पक्ष प्रक्रिया' होनी चाहिए

डी.

देखा गया। चयन समिति इस सिद्धांत का अपवाद नहीं हो सकती है। इसे बाहरी या अप्रासंगिक विचार द्वारा निर्देशित किए बिना यथोचित निर्णय लेना चाहिए।

9.3 चूंकि प्रकटीकरण को अनिवार्य करने वाली ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है

हमारे मन में संदेह है कि राज्य जांच समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।
10. इस प्रकार यह पाया गया कि राज्य जांच समिति ने केवल दो नामों पर विचार करने में सही थी जिनकी सिफारिश की गई थी

विभागीय चयन समिति, अब हम अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करते हैं

एफ.

यह महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 का नाम किसी भी पूर्वाग्रह, द्वेष या मनमानेपन के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा ही गलत तरीके से बाहर रखा गया था।

10.1 इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि

उत्तरदाता संख्या 1 को पिछले वर्ष 2013 में कृषि विभाग के जी से एकमात्र उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था, जैसे कि

सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि विचाराधीन वर्ष के लिए बैठक यूपीएससी द्वारा समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। यह भी देखा गया कि टिप्पणियों से पता चलता है कि 2014 में प्रतिवादी नं. एल. के नाम की सिफारिश नहीं किए जाने का प्राथमिक कारण यह था कि उनके नाम की सिफारिश पहले की गई थी। अदालत ने नोट किया कि कोई स्पष्टता नहीं थी एच [2019] 15 एस. सी. आर.

इस बात पर कि 2014 में एक नई कवायद शुरू होने के बाद उनके नाम की सिफारिश करने के रास्ते में पहले की सिफारिश कैसे आई, जिससे अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि पहली बार में उनके नाम की गैर-सिफारिश बाहरी विचारों पर आधारित प्रतीत होती है। 10.2 हम स्वयं को उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष बी से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। जी. ए. डी. द्वारा कृषि विभाग को लिखे गए दिनांक 30.05.2013 के पत्र के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 के नाम की पिछले वर्ष की अनुशंसा वास्तव में जी. ए. डी. द्वारा अनुशंसा के अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण वापस कर दी गई थी। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए किन टिप्पणियों पर भरोसा किया कि

सी.

प्रत्यर्थी नं. 1 की सिफारिश उनकी पूर्व की सिफारिश के कारण नहीं की गई थी, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में गलती की कि पिछले वर्ष की प्रत्यर्थी नं. 1 की सिफारिश केवल अधर में रही थी, और इसलिए अगले वर्ष उनकी गैर-सिफारिश संदिग्ध थी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि 2014 में कृषि विभाग द्वारा अपीलार्थी सहित दो अन्य अधिकारियों की सिफारिशों में मनमानेपन, दुर्भावना या पक्षपात का कोई संकेत नहीं है।

11. किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश राज्य जांच समिति को सिफारिश करने का निर्देश देता है

ई. यूपीएससी के लिए उत्तरदाता संख्या 1 का नाम पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना था। चयन प्रक्रिया में मनमानेपन के निष्कर्ष पर पहुंचने पर, न्यायालय राज्य जांच समिति को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर उचित विचार करके सभी उम्मीदवारों के नामों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश जारी कर सकता था। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, यह न्यायालय के लिए योग्यता पर निर्णय में बैठने के लिए नहीं था

एफ उम्मीदवार और जाँच समिति के लिए अपने तर्क को प्रतिस्थापित करें। चाहे जो भी हो, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच समिति के समक्ष सत्रह उम्मीदवारों के पुनर्विचार का निर्देश देने या चयन वर्ष 2014 के लिए पहले से की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं है। जी 12. इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

एच.